प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 अक्टूबर, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में संस्थान को आवंटित भू-खण्ड संख्या-7/31 व 7/32 में निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे। ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 130/2018/3040/71-2-2018-आरएम-23/2016, दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 के क्रम में अवगत कराना है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में आवंटित भू-खण्ड संख्या-7/31 व 7/32 में निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-21/2018/705/71-2-2017-आरएम-23/2016, दिनांक 19 फरवरी, 2018 द्वारा ₹ 18014.20 लाख प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष अबतक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल 6112.49 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	21/2018/705/71-2-2017-आरएम-23/2016, दिनांक 19 फरवरी, 2018	2000.00
2	129/2018/3040/71-2-2018-आरएम-23/2016, दिनांक 09 अक्टूबर, 2018	4112.49
	योग-	6112.49

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में आवंटित भू-खण्ड संख्या-7/31 व 7/32 में निर्माण हेतु रू0 1093.19 लाख (रूपया दस करोड तिरानबे लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक संस्थान की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण संबंधी वित्तीय नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
7) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8) धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर, कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

4- निदेशक संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कुर्सी क्षेत्रफल दरों/एलीवेशन एरिया दरों/मानकीकृत लागत के आधार पर निर्गत करते हुए प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है, तो परियोजना के जनपद के शिड्यूल आफ रेट पर विस्तृत आगणन गठित कर, उस पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26-8-2014 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर, पुनरीक्षित प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के बाद ही द्वितीय एवं अगली किश्ते अवमुक्त किये जाने की मांग की जाय।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-28-डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26/ब0प्र0-2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 तथा वित्त विभाग के आदेश संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 130/2018/2835(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3) संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0आयु0संस्थान, लखनऊ।
6) महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)।
8) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in